संख्या- 28 /2018/ 1444/ सत्रह-म-2018-6-9(364)/2016

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषय - केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध की गयी अप्रयुक्त /अवशेष केन्द्रांश धनराशि कुल रू0 86.84921 लाख के सापेक्ष लखनऊ में राज्य स्तरीय फिश मार्केट के निर्माण हेतु रू0 96.13 लाख (केन्द्रांश धनराशि रू0 48.065 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 48.065 लाख) की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-543 /नि0शा0, दिनांक 27.09.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख में से वर्ष 2017-18 की अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध की गयी कुल केन्द्रांश धनराशि रू0 86.84921 लाख के सापेक्ष लखनऊ में राज्य स्तरीय फिश मार्केट के निर्माण हेतु रू0 96.13 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय फिश मार्केट निर्माण लखनऊ स्थित एकलब्य मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र चिनहट के परिसर में प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय फिश मार्केट परियोजना हेतु भारत सरकार की ब्लू रिवोल्यूशन योजना की प्रभावी गाइड लाइन्स के अनुसार यूनिट लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 50.00 लाख केन्द्रांश धनराशि अनुमन्य है ।

3- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त/ अवशेष केन्द्रांश रू0 86.84921 लाख को वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध कर दिया गया है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय फिश मार्केट निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 पूंजी लेखा, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 105- संसाधन परिरक्षण तथा विपणन 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0101- राज्य स्तरीय फिश मार्केट का निर्माण (के050/रा50-के0+रा0) 24-वृहत निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत रू0 96.13 लाख (रू0 छियान्बे लाख तेरह हजार मात्र) का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राज्य स्तरीय फिश मार्केट परियोजना हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि के अन्तर्गत केन्द्रांश धनराशि रू0 48.065 लाख (50 प्रतिशत) तथा मैचिंग राज्यांश रू0 48.065 लाख (50 प्रतिशत) अर्थात कुल रू0 96.13 लाख (रू0 छियान्बे लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स एवं समय- समय पर भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं हेतु निर्गत आदेशों/ दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण सम्बंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार /मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार /शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।

(5) निदेशक मत्स्य यह सुनिश्चित करेंगे कि धनराशि का आहरण निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्ध होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत जारी की जाय।

(6) प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाना निदेशक मत्स्य सुनिश्चित करेंगे।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में निर्धारित अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों /समाग्री आदि का क्रय संसुगत क्रय नियमों /स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि का हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ निदेशक मत्स्य की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, सुनिश्चित कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, वस्तुत: धनराशि जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद/कार्यक्रम /योजना में इसका व्यय अनुमन्य न होगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित शर्तों एवं निर्माण सम्बंधी संगत शासनादेशों की शर्तों /व्यवस्थाओं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(14) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के अधीन पूंजीलेखा -4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-105-संसाधन परिरक्षण तथा विपणन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राज्य स्तरीय फिश मार्केट का निर्माण (के050/रा50-के0+रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या- 28 /2018/ 1444 (1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- उप निदेशक मत्स्य(नियो0) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।